झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
संकल्प

विषयः— जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत तकनीकी एवं गैर—तकनीकी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, क्षमता संवर्द्धन इत्यादि कार्य करने के निमित्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची को प्राधिकृत करते हुए दायित्व सौंपने के संबंध में।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 02 अभियंता प्रमुख, 12 मुख्य अभियंता, 52 अधीक्षण अभियंता, 200 कार्यपालक अभियंता, 844 सहायक अभियंता एवं 2357 कनीय अभियंता के पद सृजित है, जिनके विरूद्ध लगभग 2200 पदाधिकारी पदस्थापित हैं।

2. यह देखा जा रहा है कि विभाग मे पदस्थापित विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, क्षमता संवर्द्धन, इत्यादि हेतु कोई कार्य योजना अथवा नीति निर्धारित नहीं है, जिसके फलस्वरूप इन पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यतः अपने अभियंत्रण छात्र काल के दौरान अर्जित ज्ञान के आधार पर ही योजनाओं एवं अन्य विभागीय दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विश्व में हाल के वर्षो में सूचना तकनीक एवं अभियंत्रण प्रक्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की गई है तथा सूचना—तकनीक एवं सिविल निर्माण की नई अवधारणाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है।

3. विभागीय पदाधिकारियों के सीमित ज्ञान एवं सीमित अनावरण (exposure) के फलस्वरूप विभाग के द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी तो है ही, साथ ही दूसरी ओर ऐसे तकनीकी पदाधिकारियों में उत्साह एवं उत्प्रेरणा (Motivation) की भी भारी कमी देखी जा रही है, जो इनके career planning एवं personality development को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची को विभागीय तकनीकी एवं गैर—तकनीकी पदाधिकारियों को विभिन्न विकासीय अवधारणाओं, सूचना—तकनीक इत्यादि क्षेत्रों में क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण, अनावरण (exposure), इत्यादि हेतु प्राधिकृत करते हुए उत्तरदायी घोषित किया जाता है।

5. मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना के द्वारा निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा :

5.1 विभागीय तकनीकी एवं गैर—तकनीकी पदाधिकारियों की तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यक्षमता का सुनियोजित रूप से आकलन करना;

5.2 तकनीकी एवं गैर—तकनीकी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, क्षमता संवर्द्धन, इत्यादि हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करना;

5.2 तकनीकी एवं गैर–तकनीकी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, क्षमता संवर्द्धन, इत्यादि हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करना;

5.3 तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना का कार्यान्वित करने की दिशा में ससमय समस्त कार्रवाई करना;

5.4 विभागीय तकनीकी एवं गैर–तकनीकी पदाधिकारियों का तकनीकी उन्मुखीकरण (technical orientation) आकलित करते हुए उनके career planning एवं personality development की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करना;

5.5 विभागीय पदाधिकारियों के अन्य राज्यों में प्रशिक्षण, अनावरण भ्रमण (exposure visit), इत्यादि की योजना तैयार कर उपस्थापित करना;

5.6 समय–समय पर प्रशिक्षण, तकनीकी उन्मुखीकरण, तकनीकी अवधारणाओं इत्यादि, पर कार्यशालाओं इत्यादि, का आयोजन करना;

5.7 विभागीय उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार हेतु पत्रिका, न्यूज लेटर इत्यादि प्रकाशित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना;

5.8 विभागीय तकनीकी एवं गैर–तकनीकी पदाधिकारियों के career planning एवं personality development हेतु विशिष्ट विषयों पर प्रशिक्षण हेतु इस कार्य में संलग्न देश एवं विदेश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय करना;

5.9 सिंचाई एवं अनुषांगिक विषयों पर विभागीय उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण (documentation) करना;

5.10 राज्य स्तरीय विभागीय तकनीकी पुस्तकालय (Technical Library) की स्थापना एवं उसका संचालन–प्रबंधन करना;

5.11 विभाग के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए समस्त दायित्वों का ससमय निर्वहन करना।

6. मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची के द्वारा प्रत्येक माह के अंत में विगत माह के दौरान की गई सभी गतिविधियों एवं उपलब्धियों की विवरणी संचिका में अपर मुख्य सचिव के समक्ष समीक्षा हेतु अपनी विश्लेषणात्मक टिप्पणी के साथ उपस्थापित की जाएगी।

7. मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना के द्वारा उनके अधीन कार्यरत पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार विधिवत् कार्य आवंटित करते हुए समस्त सहयोग प्राप्त किया जाएगा ताकि विभाग द्वारा यथानिर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

8. उपर्युक्त वर्णित कार्यो हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची होंगे। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विकास शाखा के द्वारा मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना को उपर्युक्त कार्य सम्पादन हेतु राशि आवंटित की जाएगी।

यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश :आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रति राज्य सरकार के सभी विभागों को भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

19.7.19

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 1/पी०एम०सी०/विविध/740/2018 935 **/राँची, दिनांक :** 19/07/19

प्रतिलिपि : विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–1 एवं 2/मुख्य अभियंता (मो०)/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.19

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।